

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444 प्रांक-959 ६ / ١२-١, कोटबंगला दिनांक ७८ /७६ / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक दिनांक 09.01.2020 तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्रांक-कैम्प/मेमो दिनांक 18.03.2020।

महोदय, उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई ऑनलाइन आपत्ति का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर

स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है। निराकरण आपत्ति क्र.सं. प्रस्तावित समरेखण में वन विभाग द्वारा पूर्व में ही On perusal of KML file of the proposed area, it वन मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसकी is noticed that complete alignment is going चौड़ाई लगभग 4.25 मी0 है। याचक विभाग द्वारा through reserve forest area (having flora and उक्त प्रस्तावित समरेखण में मात्र 1.70 मी० चौड़ाई fauna as mentioned in DFO'S SIR) however, में कटान कर चौड़ीकरण किया जाना है तथा इसी plenty of non forest land available along the समरेखण में न्यूनतम् वृक्ष प्रभावित हो रहे है। submit Government State road. justification/clarification in this regard. वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का ग्रेड अत्यन्त स्टीप The benefitted village is already on road and if आ रहा है, जो कि विभागीय मानकों में the road is required deep inside the village then the alternative alignment shown in the KML file Exceptional ग्रेड में आता है, जबकि Exceptional going through non-forest land seems more ग्रेड मात्र 100 मी० लम्बाई तक ही अनुमन्य होता suitable. है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण में मार्ग का निर्माण पूर्ण रूप से 5.95 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। प्रस्तावित समरेखण पूर्व में ही लगभग 4.25 मी0 चौडाई में निर्मित है जिस कारण मार्ग में मात्र 1.70 मी० चौडाई में चौड़ीकरण किया जाना है तथा इसी समरेखण में न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अतः इसी समरेखण में कार्य किया जाना सर्वथा उचित है, क्योंकि यह मार्ग पूर्व से ही वन विभाग द्वारा निर्मित है। लाभान्वित गांव की लोकेशन के.एम.एल फाईल में State Government may upload the KML file 3 अंकित कर दी गयी है। गांव की निर्मित मार्ग से after marking the location of beneficiary village and their distance from existing road. दूरी 2.25 कि0मी0 है। पर्व में निर्मित मार्ग जो के०एम०एल० फाईल में भी In justification of the proposal uploaded at दिख रहा है। उक्त मार्ग एक वन मोटर मार्ग है, para-D in part-I, it is submitted that there is already existing light vehicle road (LVR) जो कि वन विभाग के द्वारा लीसा ढलान हेत and the proposal is for widening of the लगभग सन 1980 से पूर्व में निर्मित किया गया same including falling of 122 trees. State है। Government may submit the details of the construction of LVR, construction year and provide information whether approval obtained under FCA?

5	In the SIR, DFO has mentioned about presence of rare/endangered/unique species of fauna like black bear and leopard in the area. State Govt. may submit the mitigation plan/wildlife management plan containing the existing scenario, scenario after construction of road, impact on the wildlife and the mitigation measures to minimize the impact on wildlife. In one estimate for Rs. 2999150/- has been submitted in the name of WL management plan which can't be accepted.	परियोजना में वन्यजीव प्रबन्धन योजनी की गुठन क्षेत्राधिकारी डुण्डा वन राजि की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा क्षेत्र में किये गये स्थलीय निरीक्षण व सर्वेक्षण की वास्तविकता के आधार पर तैयार कर गठित किया गया हैं, जिसका पुनः आंकलित मूल्य रू० 19,84,000.00 का नया संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन पार्ट—II के Additional documents में अपलोड कर दिया गया है एवं संलग्न कर प्रेषित है।
6	No. comment given against para-5-5 of SIR of DFO and the recommendation is sketchy. Comments against each para and clear copy of recommendation may be submitted.	संसोधित S.I.R पुनः ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड कर दी गई है एवं छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
7	State Government may submit/upload the complete muck disposal plan including the details like to be utilzed and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal site duly approved by DFO.	मक डिस्पोजल प्लान पार्ट—I के Additional information में अपलोड कर दिया गया है एवं संलग्न कर प्रेषित है।
8	Name of the road is incorrect in Part V. State Government may submit/upload the part V providing the correct name of the proposal.	राज्य सरकार स्तर से निस्तारित किया जाना है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

भवदीय